

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/(निर्यात/मार्केटिंग)/एपीडा-पार्ट/ 899

भोपाल दिनांक 11/03/2022

प्रति.

कलेक्टर

जिला .....(समस्त), मध्यप्रदेश ।

विषय:- प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन का आदेश क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2 दिनांक 26/08/2021।

विषयान्तर्गत वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पालिसी- 2019 के परिपेक्ष्य में सदभित आदेश के माध्यम से राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन हेतु तीन अतिरिक्त समितियों यथा कार्यकारी समिति (EC), निगरानी समिति (MC) एवं क्लस्टर स्तरीय समिति (CFC), का गठन एवं कार्यो का विभाजन किया गया था । जिसमे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर स्तरीय समिति (CFC) को कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन को मूर्तरूप प्रदान करने का दायित्व प्रदान किया गया है, सुलभ सन्दर्भ हेतु आदेश की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है ।

लेख है कि किसानो की आय में उतरोत्तर वृद्धि करने, प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने, प्रदेश में निर्यात-उन्मुखी अधोसंरचनाओं का निर्माण, आधुनिक कृषि प्रयोगों से निवेश की प्राप्ति, क्षेत्र का विकास तथा नवीन रोजगार सृजन करते हुए समग्र रूप से शासन की मंशानुसार मंशानुसार कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के दृष्टिकोण से कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रो के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की महती आवश्यकता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला प्रशासन प्रमुख के रूप में आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।

मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात नीति लागु करने एवं क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की आपसे अग्रलिखित अपेक्षाएं है -


1. क्लस्टर स्तरीय समिति (CFC) की बैठक मासिक रूप से आयोजित की जावे, कतिपय कारणों से समयाभाव में बैठक मासिक रूप से आयोजित किया जाना संभव न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जावे की दो बैठकों के मध्य अंतर 3 माह से अधिक न हो ।
2. प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण, बैठक दिनांक से 1 माह की अवधि के भीतर, अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव द्वारा मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को अनिवार्यतः प्रेषित किया जावे ।



3. प्रदेश में भिन्न-भिन्न जिलों में विभिन्न किस्मों की विशिष्ट उपजों की पैदावार होती है, इस अनुक्रम में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के समन्वय से जिले की निर्यात उन्मुखी उपजों/उत्पादों का चयन, प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन किया जावे।
4. जिले में कृषकों, कृषक संगठनों, व्यापारियों एवं सम्बंधित पक्षों आदि के लिए निर्यात उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रेषण।
5. संदर्भित आदेश में उल्लेखित कार्य एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे विषय तथा नवाचार, जो आप जिले के कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक समझे, को एजेंडा में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।

कृपया उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत करावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



(विकास नरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2021

//आदेश//

राज्य शासन द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी-2019 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.11.2020 के द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेन्सी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

राज्य शासन एतद द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए नामांकित नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से भारत सरकार की Agriculture Export Policy के क्रियान्वयन हेतु- (i) कार्यकारी समिति, (Executive Committee - EC) (ii) निगरानी समिति, (Monitoring Committee - MC) एवं (iii) क्लस्टर सुविधा समिति, (Cluster Facilitation Committee - CFC) इस प्रकार तीन अतिरिक्त समितियों के गठन की आवश्यकता हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर, समन्वय से प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में निम्नानुसार तीनों समितियों का गठन किया जाता है।

उक्त तीनों समितियों का संगठन एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:-

(I) कार्यकारी समिति (EC) :-

क्र.	अधिकारी का पदनाम	समिति का पद
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त, सहकारिता	सदस्य
3	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
4	आयुक्त, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य

5	संचालक, पशुपालन	सदस्य
6	संचालक, मत्स्यपालन	सदस्य
7	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ	सदस्य
8	प्रबंध संचालक, मत्स्यपालन	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित	सदस्य
10	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश एगो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	सदस्य
11	नोडल अधिकारी, एपीडा	सदस्य
12	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य सचिव

यह समिति वास्तविक रूप से उक्त पालिसी का क्रियान्वयन करेगी। यह पालिसी के क्रियान्वयन के संबंध में, राज्य शासन तथा भारत सरकार के संबंधित विभागों एवं अन्य संबंधित निकायों से सतत समन्वय करते हुए तथा निगरानी समिति (MC) व क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर, उक्त पालिसी को लागू किये जाने की कार्यवाही करेगी और प्रगति से राज्य स्तरीय समिति (SLC) को अवगत कराएगी।

(II) निगरानी समिति (M C) :-

क्र.	अधिकारी का पदनाम	समिति का पद
1	संभाग आयुक्त	अध्यक्ष
2	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, संभागीय कार्यालय	सदस्य सचिव
3	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभागीय कार्यालय	सदस्य

4	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संभागीय कार्यालय	सदस्य
5	संयुक्त संचालक, पशुपालन, संभागीय कार्यालय	सदस्य
6	क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वेयरहाऊसिंग एवं लाजिस्टिक्स कापोरेशन, संभागीय कार्यालय	सदस्य
7	संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय	सदस्य
8	सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा	सदस्य
9	वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य

यह समिति संभाग स्तर पर संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। यह समिति अपने अधीनस्थ जिलों में उक्त पालिसी के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करते हुए प्रगति से कार्यकारी समिति (EC) को अवगत कराएगी।

(III) क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) :-


क्र.	अधिकारी का पद नाम	समिति का पद
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	समन्वयक
3	उप संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य सचिव
4	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
5	सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा	सदस्य
6	उपायुक्त सहकारिता सह उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं	सदस्य
7	प्रोजेक्ट डायरेक्टर (उप संचालक, कृषि), आत्मा	सदस्य
8	वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विकास केन्द्र	सदस्य
9	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य
10	जिला प्रबंधक, एन.आर.एल.एम.	सदस्य
11	सचिव, जिला मुख्यालय की मण्डी समिति,	सदस्य
12	प्रबंधक, स्थानीय एफ.पी.ओ.	सदस्य

यह समिति ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। यह समिति, उक्त पालिसी के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को मूर्त रूप प्रदान करेगी। इस समिति के द्वारा प्रमुख रूप से निम्नानुसार कार्यो को किया जावेगा :-

- निर्यात योग्य कृषि उत्पाद अनुसार, क्लस्टर विकास हेतु ग्राम, विकासखंड, उत्पादन क्षेत्र का चयन,
- कृषकों/FPO/FPC का पंजीयन,
- कृषकों/FPO/FPC को एपीडा से जोड़ना,
- क्लस्टर में आवश्यक अधोसंरचना का विकास,
- कृषकों/FPO/FPC एवं अन्य स्टैकहोल्डर्स के लिए निर्यात संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,
- निर्यातकों को आकर्षित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना,
- क्लस्टर में पैकहाउस, प्रोसेसिंग प्लांट्स आदि की स्थापना की सुविधाएं उपलब्ध कराना,
- कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्रेता आकर्षित हों तथा उत्पादों की मांग बढ़े,
- पालिसी के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही।

उपरोक्तानुसार तीनों समितियों का संगठन एवं कार्यो अनुसार संपादन की कार्यवाही संबंधित समितियों द्वारा सुनिश्चित की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(अजीत केसरी)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग


क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2 / 581

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/समन्वयक/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. उप सचिव, म०प्र० शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म०प्र० शासन, मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक, नावार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. उपनिदेशक, डी.जी.एफ.टी., क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
10. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन/मत्स्यपालन, भोपाल।
11. आयुक्त सहकारिता/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
12. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित/म०प्र० एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
14. संभाग आयुक्त ----- समस्त (म०प्र०)।
15. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/पशुपालन/संभागीय कार्यालय -----समस्त (म०प्र०)।
16. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय ----- समस्त (म०प्र०)।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, म०प्र० राज्य वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, संभागीय कार्यालय ----- समस्त (म०प्र०)।
18. सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा ----- संभागीय/क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त (म०प्र०)।

19. वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालय, ----- संभागीय/क्षेत्रीय कार्यालय समस्त (म०प्र०)।
20. जिला- कलेक्टर, ----- समस्त (म०प्र०)।
21. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ----- समस्त (म०प्र०)।
22. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
23. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (उप संचालक, कृषि), आत्मा, जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
24. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
25. जिला प्रबंधक, एन.आर.एल.एम.जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
26. उपायुक्त सहकारिता सह उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
27. सहायक महाप्रबंधक/प्रतिनिधि, एपीडा जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
28. वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विकास केन्द्र, जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
29. प्रबंधक, स्थानीय एफ.पी.ओ. जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
30. सचिव, जिला मुख्यालय, कृषि उपज मंडी समिति जिला ----- समस्त (म०प्र०)।
31. आदेश नस्ती ।



अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल